कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

देवरिया बाई पास रोड, रामगढ़ताल परियोजना, गोरखपुर ।

प्रदेशन पत्र

पत्र संख्या /दस–सम्पत्ति/गो0वि0प्रा0/20.........–.........., दिनांक / /20.......

सेवा में,

श्री/श्रीमती ....
पुत्र/पत्नी ....
पता ....
....
....

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्राधिकरण की .... आवासीय योजना के अर्न्तगत रू0– .... (रूपया...) मात्र चालान संख्या......................... दिनांक / /20.......... द्वारा प्राधिकरण निधि में जमा करके .... श्रेणी के भूखण्ड जिसका मानक क्षेत्रफल .... वर्ग मीटर है के आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया है । दिनांक .... को सम्पन्न लाटरी में आप के पक्ष में .... भूखण्ड संख्या .... निकला, जिसका आवंटन आप के पक्ष में किया जाता है, जिसके विरूद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है :–

(क) भूखण्ड का मानक क्षेत्रफल .... वर्ग मीटर कुल मूल्य रू0– ....

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0– .... ।

(ग) नगद कय पर एक मुश्त देय धनराशि रू0–................................ मात्र दिनांक / /20......... तक जमा करनी होगी ।

(घ) आवंटन के पश्चात् भूखण्ड मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि रू0–.................................. मात्र दिनांक / /20......... तक जमा करनी होगी ।

(ड.) भूखण्ड मूल्य का अवशेष धनराशि रू0– .... मात्र पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित 02 वर्षो की त्रैमासिक किश्त रू0–......................... (रू0...) जिसकी प्रथम किश्त दिनांक / /20.......... तक देय होगी, शेष किश्तें त्रैमाह की 07 तारीख तक प्राधिकरण निधिम में जमा करना होगा ।

(च) विविध शुल्क :–

आपके पक्ष में आवंटित .... भूखण्ड संख्या.............................. में विज्ञप्ति शर्तो के अनुसार निम्नलिखित धनराशि जमा करना होगा :–

1– कार्नर शुल्क भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत रू0–..

2– फीहोल्ड चार्ज भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत रू0– ....

योग– रू0–..

कमश 2/–

अतः उपरोक्तानुसार देय धनराशि दिनांक / /20......... तक प्राधिकरण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें ।

(छ) अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु नियमानुसार स्टैम्प पेपर व निबन्धन शुल्क देय होगा ।

नोट :– (1) किसी भी देय धनराशि को विलम्ब से जमा करने पर 18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा ।

(2) भूखण्ड का मूल्य पूर्णतः अनुमानित है, योजना पूर्णतः विकसित होने पर या न्यायालय के आदेश अथवा किन्ही अन्य कारणों से भूखण्ड मूल्य में बढ़ोत्तरी होगी, तो वह आवंटी को मांग पत्र के अनुसार जमा करना होगा ।

उपरोक्त विवरण अंश (ग) व (च)/(घ), (ड.) व (च) में अंकित समस्त धनराशि आन्ध्रा बैंक, शाखा तारामण्डल, गोरखपुर के माध्यम से प्राधिकरण निधि में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा । आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रू0– .... मात्र का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी । परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा नही करते है, और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते है, उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा और फिर भी यदि आवंटी वांछित धनराशि प्राधिकरण निधि में जमा नही किया जाता है, तो उनके पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत के साथ भूखण्ड के कुल मूल्य का 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम 02 माह का ब्याज भी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी एवं नियमानुसार सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी ।

(3) यह प्रदेशन पत्र भूखण्ड के मानक क्षेत्रफल के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । यदि भूखण्ड के मानक क्षेत्रफल में लीज प्लान प्राप्त होने पर भूमि का क्षेत्रफल मानक क्षेत्रफल से बढ़ता है, तो मानक क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत पुराने दर से तथा उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल पर वर्तमान दर से मूल्य देय होगा ।

(4) यदि देय तिथि के दिन बैंक अवकाश होता है तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पूर्व ही देय धनराशि जमा कर देंगे ।

(5) आवंटी द्वारा प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराकर नियमानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर ।

Scanned with CamScanner